न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर0ए0एस

प्र0न0 – 63/2025

नवान : –

1. महावीर पुत्र अमीचन्द जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा।

:–प्रार्थी

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र मगनीराम जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा।
2. जयसिंह पुत्र मगनीराम जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा।
3. रोहताश पुत्र मगनीराम जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा।
4. सन्तलाल पुत्र मगनीराम जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :–श्री प्रभुराम गोदारा प्रार्थी
श्री संदीप गोदारा अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक अमरपुरा बारानी के खाता सं. 50/41 के मु० नं0 73 के किला नं. 4. मु0 नं0 74 के किला नं. 1/2, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 मु0 नं0 75 के किला नं. 6 कुल 2.4030 हैक्टर बारानी खातदोरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि के चिपते हुए पूर्वी दिशा में अप्रार्थी सन्तलाल की कृषि भूमि अमरपुरा बारानी के खाता सं0 144/75 के मु0 नं0 61 के किला नं. 18, 23 मु० नं0 74 के किला नं. 3, 8/2 की कुल 0.8860 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार अप्रार्थी जयसिंह की कृषि भूमि अमरपुरा बारानी के खाता सं. 75/21 के मु0 नं0 74 के किला नं. 4/2, 7/2, 8/1 13, 14/1 की कुल 0.8860 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार अप्रार्थी रोहताश की कृषि भूमि अमरपुरा बारानी के खाता सं. 142/75 के मु0 नं0 74 के किला नं. 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 14/2 15/2 की कुल 0.8850 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार अप्रार्थी रामेश्वर की कृषि भूमि अमरपुरा बारानी के खाता सं. 143/75 के मु0 नं0 73 के किला नं. 1, 10, 11, मु० नं0 74 के किला नं. 5/2, 6/2, 15/2 की कुल 0.8850 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अब प्रार्थी चक अमरपुरा बारानी के मु0 नं0 73 के किला नं. 1 में उतरी–पश्चिमी कोने में 0.001 हैक्टर तथा मु0 नं0 74 के किला नं. 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 में तीनों किलो के उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम सवा आठ फुट चौडाई पूरे तीन किला लम्बाई में एक–एक बिस्वा यानि तीनों किलो में 0.039 हैक्टर यानि सवा आठ–सवा आठ फिट चौडाई में रास्ता की अपने खेत में आने जाने के लिए आवश्यकता है और इसी रास्ता से होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में सदामत से [illegible] करता है जो चालू रास्ता है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] के कारण प्रार्थी को परेशानी होती है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] का अंकन दर्ज करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:58:53 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया तथा अप्रार्थी 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। मुताबिक राजीनामा के चक चक अमरपुरा बारानी के मु0 नं0 73 के किला नं. 1 में उतरी–पश्चिमी कोने में 0.001 हैक्टर तथा मु0 नं0 74 के किला नं. 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 में तीनों किलो के उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम सवा आठ फुट चौडाई पूरे तीन किला लम्बाई में एक–एक बिस्वा यानि तीनों किलो में 0.039 हैक्टर यानि सवा आठ–सवा आठ फिट चौडाई में रास्ता की अपने खेत में आने–जाने का रास्ता आवागमन हेतु स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है इस हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है। उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पडता है। रास्ता की एवज की भूमि के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की पालना के लिए तत्पर व तैयार है उक्त धारा के अनुसार भूमि देने हेतु तत्पर व तैयार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजीनामा में प्रार्थी चक अमरपुरा बारानी के मु0 नं0 73 के किला नं. 1 में उतरी–पश्चिमी कोने में 0.001 हैक्टर तथा मु0 नं0 74 के किला नं. 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 में तीनों किलो के उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम सवा आठ फुट चौडाई पूरे तीन किला लम्बाई में एक–एक बिस्वा यानि तीनों किलो में 0.039 हैक्टर यानि सवा आठ–सवा आठ फिट चौडाई में रास्ता की अपने खेत में आने–जाने का रास्ता आवागमन हेतु स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण हेतु सहमत एवं रजामंद है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक अमरपुरा बारानी के मु0 नं0 73 के किला नं. 1 में उतरी–पश्चिमी कोने में 0.001 हैक्टर तथा मु0 नं0 74 के किला नं. 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 में तीनों किलो के उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम सवा आठ फुट चौडाई पूरे तीन किला लम्बाई में एक–एक बिस्वा यानि तीनों किलो में 0.039 हैक्टर यानि सवा आठ–सवा आठ फिट चौडाई में रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जावें एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:58:53 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner